

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ 86-06116 जो.जयपुर/2024/ 416

दिनांक- 05/6/24

श्री सत्यानारायण गुप्ता,
स्थायी समन्वयक एवं केस प्रभारी अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जयपुर ।

विषय- अपील संख्या 109/2023 मामराज गुर्जर नर्सिंग ऑफिसीर,बनाम सरकार व अन्य माननीय
सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर की तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अपील संख्या 109/2023 मामराज गुर्जर नर्सिंग ऑफिसीर
बनाम सरकार व अन्य माननीय सिविल अपील अधिकरण, जयपुर में दायर की गई है में आपको केस प्रभारी
अधिकारी नियुक्त किया गया है, प्रकरण में बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये हैं,
जो निम्नानुसार है:-

1. टिप्पणी आवश्यक नहीं ।
2. यथा लिखित मान्य नहीं है । प्रकरण में प्रशासनिक कारणों से निदेशालय के आदेश क्रमांक
अराज/सामान्य/04 दिनांक 03.01.2023 के क्र.स. 117 पर अंकित हंसा चौधरी नर्सिंग ऑफीसर का
स्थानान्तरण/पदस्थापन आरयूएचएस जयपुर से बी.डी.एम चिकित्सालय कोटपूतली में मामराज गुर्जर
के स्थान पर किया गया है ।
3. यथा लिखित मान्य नहीं है । प्रकरण में प्रशासनिक कारणों से निदेशालय के आदेश क्रमांक
अराज/सामान्य/04 दिनांक 03.01.2023 के क्र.स. 117 पर अंकित हंसा चौधरी नर्सिंग ऑफीसर का
स्थानान्तरण/पदस्थापन आरयूएचएस जयपुर से बी.डी.एम चिकित्सालय कोटपूतली में मामराज गुर्जर
के स्थान पर किये जाने प्रभावित अपीलार्थी को संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया
गया है ।
4. विधिक बिन्दु है ।
5. विधिक बिन्दु है ।
6. यथा लिखित मान्य नहीं है । अपीलार्थी को अस्वस्थ होने पर नियमानुसार चिकित्सा अवकाश देय है
। अपील में बिमारियों से ग्रसित होने का उल्लेख किया है, का उपचार किसी भी जिला
चिकित्सालय या सम्बद्ध मेडिकल चिकित्सालयों से प्राप्त किया जा सकता है ।
7. टिप्पणी आवश्यक नहीं ।
8. शेष बिन्दु विधिक है ।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप-2
विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक 11.01.2022 में यह उल्लेखित है कि मंत्रीमण्डल सचिवालय के विज्ञप्ति क्रमांक
प.11 (1)मं.मं./2018 दिनांक 22.11.2021 में चिकित्सा मंत्री महोदय को पंचायत राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य विभाग का भी स्वतंत्र प्रभार आवंटित किया गया है।

अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार जवाब दावा तैयार करवाकर मा. न्यायालय में पेश करावे यदि किसी बिन्दु
विशेष पर राय/टिप्पणी की आवश्यकता हो तो इस हेतु निदेशालय में सम्पर्क करे ।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
7705567

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ 86-06116 जो.जयपुर/2024/ 416
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक-05/6/24

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय ।
2. संबंधित राजकीय अधिवक्ता मा. सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ।
3. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को ई-मेल करे ।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
7705567

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :03-06-2024 02:31:22